पत्रांक :– 14/अनु0 01–05/2012 का0 10167 (कार्मिक)

झारखण्ड सरकार

कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

रतन कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 01/12/2015

विषय :– सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सेवाकल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियोजन के मामले में अबतक एकीकृत बिहार सरकार के परिपत्र सं0–13293 दिनांक–05.10.1991 एवं अनुवर्ती परिपत्र के आलोक में कार्रवाई की जाती रही है।

इस संबंध में परिवर्तित स्थिति एवं प्रभावी परिपत्रों के आधार पर कार्रवाई में उत्पन्न कठिनाईयों को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त राज्य में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति अब निम्नलिखित योजना के अनुरूप करने का निर्णय लिया गया हैः–

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना

(1) उद्देश्य – सेवाकाल में सरकारी सेवकों के असामयिक निधन के उपरान्त उनके आश्रित परिवार के जीविकोपार्जन का आधार अचानक समाप्त हो जाने के कारण उस परिवार को आर्थिक संकट से उबारना तथा परिवार को तत्क्षण आर्थिक सहायता पहुँचाया जाना इस योजना का उद्देश्य है।

(2) इस योजना का लाभ किसे प्राप्त हो सकता है ?

इस परिपत्र की कंडिका 4 में यथा परिभाषित संबंधित मृत सरकारी सेवक का परिवार जिसकी घोषणा तद्हेतु विहित प्रपत्र IV में सरकारी सेवक द्वारा समय समय पर की गई हो।

(3) इस योजना के लिए सरकारी सेवक से तात्पर्य है –

(i) सरकारी सेवक से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा, जिसकी नियमित नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन किसी अधिष्ठान/स्थापना में स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत् कीगयी हो।

(ii) कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों के नियमित होने के बाद सेवाकाल में मृत्यु होने पर अन्य सरकारी सेवक की तरह उनके आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति की जा सकेगी।

(iii) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति नियमित नियुक्ति मानी जायेगी। इस प्रकार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित अनुकम्पा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

किन्तु लापता सरकारी सेवक के आश्रित का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

(4) आश्रित परिवार से क्या तात्पर्य है ?

सरकारी सेवक के निम्नलिखित सदस्य सीधे आश्रित माने जायेंगे :–

(i) पत्नी/पति :– यथा स्थिति।
(ii) पुत्र/ विधवा पुत्रवधू।
(iii) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री एवं विवाहित पुत्री जो सरकारी सेवक की मृत्यु के समय उसपर पूर्णतया आश्रित रही हों।
(iv) दत्तक पुत्र/दत्तक अविवाहित पुत्री (हिन्दु एडाप्शन एण्ड मेंटेनेन्स एक्ट 1956 के प्रावधान के अनुसार)

अविवाहित सरकारी सेवक के मामले में :–

(i) माता/पिता
(ii) अविवाहित भाई/अविवाहित बहन

(5) आवेदक का चयन किस अधिमान क्रम में हो सकता है ?

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदक से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा, जो मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों में से निम्न अधिमानता क्रम में चयनित हो सकेंगे:–

(i) पत्नी/पति :– यथा स्थिति।

2 m

(ii) पुत्र / विधवा पुत्रवधू।

(iii) अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता पुत्री एवं विवाहित पुत्री जो सरकारी सेवक की मृत्यु के समय उसपर पूर्णतया आश्रित रही हों।

(iv) दत्तक पुत्र / दत्तक अविवाहित पुत्री (हिन्दु एडाप्शन एण्ड मेंटेनेन्स एक्ट 1956 के प्रावधान के अनुसार)

अविवाहित सरकारी सेवक के मामले में :–

(i) माता / पिता (यदि उनकी आयु 50 वर्ष के अन्दर हो)

(ii) अविवाहित भाई / अविवाहित बहन

(6) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए उम्र सीमा क्या होगी ?

अनुकम्पा के आधार पर किसी आश्रित की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र प्रस्तावित सेवा में प्रवेश के लिए नियुक्ति नियमावली में विहित प्रावधान के अनुरूप होगा।

इसी प्रकार आश्रित की नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा वही रहेगी जो समय–समय पर सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा मात्र पति / पत्नी / माता / पिता / अविवाहित पुत्री / विधवा पुत्रवधू, विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता पुत्री / विवाहित पुत्री के मामले में प्रस्तावित पद से सम्बन्धित विभाग / विभागाध्यक्ष सेवा संहिता के नियम–54 (क) के तहत प्रदत शक्ति का प्रयोग कर क्षान्त कर सकेंगे।

(7) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किस सक्षम स्तर से हो सकती है ?

नियुक्ति हेतु प्रस्तावित पद के भर्त्ती नियमावली में विहित नियुक्ति प्राधिकार अनुकम्पा के मामले में भी नियुक्ति प्राधिकार होंगे।

(8) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किन पदों पर हो सकती है ?

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति वेतनमान **PB-I,** 5200–20200, ग्रेड वेतन 1800 / 1900 तक समूह 'ग' के सभी प्रकार के पदों पर तथा समूह 'घ' के अधिकतम 1800 ग्रेड वेतन तक के सभी प्रकार के पदों पर की जा सकती है।

परन्तु यदि सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि को पति या पत्नी (जो भी लागू हो) सरकारी सेवा में हों, तो मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

किन्तु पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में रहे हों और उनमें से किसी एक सरकारी सेवक की मृत्यु / सेवानिवृत्ति पूर्व में हो गयी हो तो सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा का लाभ देय होगा।

''परन्तु यह और कि सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन अथवा संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मी के मृत्यु के उपरान्त अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा''।

(9) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अर्हता क्या होगी ?

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक को,

(क) मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण का सफलता पूर्वक वहन करने संबंधी घोषणा करना होगा। (घोषणा पत्र का प्रारूप संलग्न)

(ख) दहेज नहीं लेने/देने तथा सरकारी सेवा में नियुक्ति से संबंधित अन्य शर्त्तें पूरी करनी होगी।

(ग) शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता– आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता प्रस्तावित पद की नियुक्ति नियमावली में विहित प्रावधान के अनुसार होगी।

किन्तु अन्य वांछनीय अर्हता पूरी नही करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रस्तावित पद पर इस शर्त के साथ की जायेगी, कि सेवा अवधि में वांछनीय अर्हता प्राप्त किये बिना उनकी सेवा की संपुष्टि नहीं होगी।

परन्तु आवेदक, यदि पागल/दिवालिया घोषित हो या संज्ञेय अपराध के लिए न्यूनतम 6 माह का कारावास काट चुका हो या जिस पर न्यायालय में ऐसा मुकदमा विचाराधीन हो जिसमें मृत्यु दंड या 6 मास या इससे अधिक अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, तो उस आवेदक का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(10) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किस प्रकार करें ?

अनुलग्न विहित प्रपत्र में आवेदक अधोलिखित कागजात के साथ दो प्रति में अपना आवेदन पत्र उसी कार्यालय में सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर समर्पित करेंगे, जहाँ मृत सरकारी सेवक अंतिम रूप से कार्यरत रहे थे।

<u>**अपेक्षित कागजात**</u>

(क) पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र (प्रपत्र–I दो प्रतियों में)

(ख) मृत सरकारी सेवक का मृत्यु प्रमाण पत्र

(ग) आवेदक का उम्र प्रमाण पत्र (झारखण्ड एकेडमिक कॉन्सिल/सम्बद्ध विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत)

(घ) शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र

(ङ) जाति प्रमाण पत्र यदि आवेदक आरक्षित वर्ग से हो

(च) अन्य आश्रित सदस्यों का अनापत्ति प्रमाण पत्र

(छ) आवेदक द्वारा भरण–पोषण संबंधी घोषणा पत्र (प्रपत्र–III दो प्रतियों में)

2

(ज) नियंत्री पदाधिकारी का प्रमाण पत्र कि परिवार के किसी आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं होने से वह परिवार वित्तीय संकट से उबर नहीं पायेगा।

उपर्युक्त (ख) से (छ) तक अंकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ दो अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाएगी।

(11) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में कार्यालय प्रधान का क्या दायित्व है ?

(i) आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की छानबीन कर आवेदन पत्र प्रपत्र–II (जांच पत्र) में सूचनाएँ अंकित कर आवेदन पत्र की एक प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र/उम्र संबंधी प्रमाण पत्र/शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति से मिलान कर उन्हें प्रतिहस्ताक्षरित करतें हुए प्रस्तावित नियुक्ति हेतु रिक्त पद की सूचना के साथ सम्बद्ध अनुकम्पा समिति के समक्ष अनुशंसा हेतु प्रस्ताव यथा शीघ्र भेजेंगे, परन्तु किसी भी स्थिति में प्रस्ताव आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि से दो माह के अन्दर समिति को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस समय सीमा का पालन करना कार्यालय प्रधान का दायित्व होगा। आवेदक द्वारा समर्पित मूल प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरण के बाद आवेदक को वापस कर दिया जायेगा।

(ii) आवेदक के दावे पर समूह 'ग' में वेतनमान PB-I, 5200–20200, ग्रेड वेतन 1800/1900 के रिक्त पद पर या समूह 'घ' के अधिकतम 1800 ग्रेड वेतन तक के सभी स्वीकृत पद के विरूद्ध नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा। (प्रपत्र–II में अंकित प्रपत्र के अनुसार)

यदि उक्त पद के लिए लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा ली जाती है, तो उसे क्षान्त समझा जायेगा।

(iii) अनुकम्पा समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अनुशंसा की प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर अनुशंसित व्यक्ति के पक्ष में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा।

इसमें विलम्ब होने पर सम्बद्ध कार्यालय प्रधान एवं नियुक्ति पदाधिकारी दोनों सम्मिलित रूप से जवाबदेह होंगे।

(12) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा किस समिति द्वारा होगी और उसका क्या दायित्व है ?

मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार को त्वरित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार में द्विस्तरीय अनुकम्पा समिति निम्न रूप में गठित की जाती है:–

(क) **केन्द्रीय अनुकम्पा समिति** :– सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में नियुक्त/पदस्थापित सरकारी सेवक के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में केन्द्रीय अनुकम्पा समिति विचार करेगी;

<u>केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की संरचना</u>

(i)	प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग।	अध्यक्ष

2 ✓

(ii)	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव से अन्यून श्रेणी के एक पदाधिकारी।	सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य
(iv)	सम्बद्ध विभाग के प्रधान सचिव/सचिव	विशेष आमंत्रित सदस्य
(v)	कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के विषय से संबंधित संयुक्त/उप सचिव।	सदस्य सचिव

(ख) **जिला अनुकम्पा समिति** :– सचिवालय एवं घोषित संलग्न कार्यालयों को छोड़कर जिला के क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत रहे मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पर उपायुक्त की अध्यक्षता में निम्न सदस्यों के साथ जिला अनुकम्पा समिति विचार करेगी;

(i)	उपायुक्त –	अध्यक्ष
(ii)	उप विकास आयुक्त –	उपाध्यक्ष
(iii)	कार्य विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी –	एक सदस्य
(iv)	समाज सेवा/आर्थिक सेवा के जिलास्तरीय पदाधिकारी–	एक सदस्य
(v)	जिला कल्याण पदाधिकारी –	सदस्य

(ii) अनुकम्पा समिति यह देखेगी कि आवेदक पत्र विहित समय–सीमा के अन्तर्गत समर्पित किया गया हो,

(iii) प्रस्तावित पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं की भली भांति जांच कर कार्यालय द्वारा प्रतिवेदित रिक्तियों के विरूद्ध ही नियुक्ति अनुशंसा अनुकम्पा समिति कर सकेगी।

परन्तु यदि प्रस्तावित कार्यालय द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति योग्य पद की रिक्ति की सूचना शून्य दी गयी हो, तो सम्बद्ध कार्यालय यथा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में सदृश रिक्त पद, जो अन्य विभाग द्वारा प्रतिवेदित हो या जिला में स्थित अन्य कार्यालय से प्रतिवेदित हो, के विरूद्ध सम्बन्धित अनुकम्पा समिति अनुशंसा कर सकेगी।

(iv) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रस्तावित पद की शैक्षणिक अर्हता सामान्यतया क्षान्त नहीं हो सकेगी। महिला आवेदक को साईकिल चलाने की योग्यता को क्षान्त कर नियुक्ति करने की अनुशंसा अनुकम्पा समिति कर सकेगी।

(v) सेवा संहिता के नियम 54, परिशिष्ट–I में अंकित विशेष प्रावधान के आलोक में अनुकम्पा समिति 50 वर्ष से कम आयु वाले केवल पति/पत्नी/माता/पिता/अविवाहित पुत्री,/विधवा पुत्रवधू, विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री के मामले में प्रस्तावित पद

2~

से सम्बन्धित विभाग/विभागाध्यक्ष सेवा संहिता के नियम–54 (क) के तहत प्रदत शक्ति का प्रयोग कर क्षान्त कर सकेंगे।

आवेदक की सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा को क्षान्त करने की अनुशंसा अनुकम्पा समिति कर सकेगी।

(vi) अनुकम्पा समिति की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी।

(13) आरक्षण की दृष्टि से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का सामंजन किस रूप में होगा ?

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति रिक्त पद के आरक्षण कोटि को ध्यान में रखे बिना की जा सकेगी, किन्तु नियुक्त व्यक्ति आरक्षण की दृष्टि से जिस कोटि का होगा, उसी कोटि के पद के विरूद्ध नियुक्त माने जाएँगे और आरक्षण की दृष्टि से उसी कोटि में समायोजित होंगे।

(14) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पत्र किस स्तर से निर्गत होगा ?

सम्बद्ध अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति पत्र नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा तथा यह शक्ति किसी भी स्थिति में अधीनस्थ पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकेगा।

यह नियुक्ति विधिवत स्वीकृत पद के विरूद्ध नियमित तौर पर की जायेगी तथा नियुक्ति नियमावली में यथा विहित प्रावधान के आलोक में नियुक्त व्यक्ति की सेवा परीक्ष्यमान अवधि, विभागीय परीक्षा आदि जैसे दायित्वों के निर्वहन के बाद सम्पुष्ट की जा सकेगी।

(15) किन बातों का विशेष ख्याल रखा जाना आवश्यक है ?

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर नियुक्त व्यक्ति को सेवा में योगदान कर लेना होगा।

सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के बिना, योगदान की अवधि विस्तारित नहीं की जा सकेगी तथा समय पर योगदान नहीं करने की स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता/दत्तक पुत्री एवं विधवा पुत्र वधू विवाह के लिए इस शर्त के साथ स्वतंत्र होंगी कि मृत सरकारी सेवक के आश्रितों का भरण–पोषण भविष्य में सफलता पूर्वक वहन करेंगी।

(ग) नियुक्ति के बाद किसी भी स्थिति में अनुकम्पा समिति पुनर्विचार नहीं करेगी अर्थात संवर्ग/पद परिवर्तन की सुविधा नहीं दी जा सकेगी।

(घ) मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण के दायित्व का सफलता पूर्वक निर्वहन नहीं करने की स्थिति में नियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी तथा उसे पदमुक्त किया जा सकेगा।

(ङ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से निर्गत इस परिपत्र के अलावे किसी अन्य विभाग से निर्गत परिपत्र के आलोक में यदि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जाती है तो उसे वैध नहीं माना जायेगा।

(च) प्रत्येक स्थापना प्रभारी उनके अधीनस्थ सरकारी सेवकों के सेवाकाल के दौरान प्रत्येंक 10 वर्ष पर विहित प्रपत्र–IV में उनपर आश्रित सदस्यों के संबंध में सरकारी सेवक की घोषणा प्राप्त किया करेंगे।

(छ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संदर्भ में उपर्युक्त विहित प्रावधान में संशोधन अथवा इसके किसी बिन्दु के संबंध में स्पष्टीकरण की शक्ति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में पूर्ववत् सन्निहित होगी।

(ज) परिपत्र के निर्गत होने की तिथि से पूर्व सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु निर्गत सभी संकल्प/अनुदेश एतद् द्वारा अवक्रमित समझे जाएँगे।

(झ) "अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना" सभी प्रकार के सरकारी सेवकों के मामले में एक रूप से लागू समझी जाएगी।

(ञ) "अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना" राज्य के सभी स्वशासी निकाय/बोर्ड/निगम/विश्वविद्यालयों में पूर्णरूप से लागू समझा जाएगा। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियाँ उक्त योजना के अनुसार की जाएगी।

(ट) उक्त योजनान्तर्गत की गई व्यवस्था के संदर्भ में किसी भी दुविधा की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

प्रभाव एवं विस्तार

यह योजना राज्य सरकार के अधीन सभी लोक उपक्रमों/स्वशासी निकायों/प्राधिकारों/निगमों/परिषदों या राज्य सम्बोधित संस्थाओं पर पूर्ण रूप से लागू मानी जाएगी।

लोक उपक्रमों/स्वशासी निकायों/प्राधिकारों/निगमों/ परिषदों या राज्य सम्पोषित संस्थाओं के राज्य स्तरीय कार्यालय के मामले में केन्द्रीय अनुकम्पा समिति तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालय के मामले में जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी।

परन्तु यह कि संबंधित संस्थानों से प्राप्त अनुकम्पा संबंधी प्रस्ताव के आलोक में अनुकम्पा समिति उसी संस्थान द्वारा प्रतिवेदित रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति की अनुशंसा किया करेगी।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14/ अनु0 01–05/2012 का॰– 10167 /रांची, दिनांक 01/12/2015

प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त एवं झारखण्ड विधान सभा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 01/12/15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14/ अनु0 01–05/2012 का॰– 10167 /रांची, दिनांक ..01/12/2015

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड/महाधिवक्ता, झारखण्ड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 01/12/15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14/ अनु0 01–05/2012 का॰– 10167 /रांची, दिनांक 01/12/2015

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/- 01/12/15
सरकार के सचिव।

विहित प्रपत्र–I

सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

(क.)

1.	मृत सरकारी सेवक का नाम	————————
2.	पदनाम/पद समूह	————————
3.	जन्म तिथि	————————
4.	सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि	————————
5.	मृत्यु की तिथि	————————
6.	सेवा की कुल अवधि	————————
7.	स्थायी/अस्थायी	————————
8.	आरक्षण कोटि	————————

(ख)

1.	आवेदक का नाम	————————
2.	मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध	————————
3.	जन्म तिथि	————————
4.	शैक्षणिक योग्यता	————————
5.	अन्य अर्हता (यदि कोई हो।)	————————
6.	सरकारी सेवा मे नियोजित अन्य आश्रित का विवरण (यदि कोई हो।)	————————

(ग) मृत सरकारी सेवक द्वारा छोड़े गये परिसम्पत्ति का विवरण:–

1.	भविष्य निधि की राशि	————————
2.	मृत्यु सह उपादान की राशि	————————
3.	परिवारिक पेंशन प्रतिमाह	————————

2✓

4. जीवन बीमा/ अन्य बीमा की राशि ----------------

5. चल/अचल सम्पत्ति द्वारा प्राप्त वार्षिक आय ----------------

6. ग्रुप बीमा की राशि ----------------

7. अव्यवहृत छुट्टी से प्राप्त राशि ----------------

8. अन्य परिसम्पत्ति (यदि कोई हो।) ----------------

कुल ----------------

9. देयत्ताओं का संक्षिप्त विवरण

10. परिवार के आश्रितों की सूचीः–

क्रमांक	नाम	मुत सरकारी सेवक से सम्बन्ध	जन्म तिथि/उम्र	वर्तमान पता	नियोजन की स्थिति
1	2	3	4	5	6

घोषणा

1. मैं, एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरलिखित सूचनाएँ मेरे जानकारी के अनुसार सही है। यदि कोई उपरलिखित तथ्य भविष्य में सही नहीं पाया गया तो मुझे सेवा से हटा दिया जाएगा।

2. मैं, एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल सहजता पूर्वक करूँगा। यदि कभी ऐसा प्रमाणित होगा की आश्रित परिवार के किसी सदस्य के देखभाल सहजता पूर्वक नहीं करता हूँ तो मुझे सेवा से हटा दिया जाएगा।

तिथिः–

आवेदक का हस्ताक्षर

नामः–
पताः–

1. श्री / श्रीमती / कुमारीः-- को मैं जानता हूँ तथा उसके अथवा उसकी द्वारा अंकित तथ्य सही है।

दिनांक–

स्थायी सेवक का हस्ताक्षर

नामः–

पदनामः–

कार्यालय का पताः–

2. श्री / श्रीमती / कुमारीः-- को मैं जानता हूँ तथा उसके अथवा उसकी द्वारा अंकित तथ्य सही है।

दिनांक–

स्थायी सेवक का हस्ताक्षर

नामः–

पदनामः–

कार्यालय का पताः–

विहित प्रपत्र–II

मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में जाँच पत्र एवं अनुशंसा।

1. मृत सरकारी सेवक का नाम :–
(पदनाम एवं वेतनमान सहित)

2. मृत्यु की तिथि :–

3 स्थायी/अस्थायी पद का विवरण :–

4. प्रदत्त सेवा की कुल अवधि :–

5. आश्रित का नाम जिसकी नियुक्ति :–
हेतु अनुशंसा की जा रही है।

6. मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध :–

7. जन्म तिथि :–

8. शैक्षणिक योग्यता :–

9. विभाग/ कार्यालय में उपलब्ध :–
वर्ग–3 (वेतनमान PB-I, 5200-20200, GP-1800/1900)
एवं वर्ग–4 के रिक्त पदों की सूचना

10. प्रमाणित किया जाता है कि मृत सरकारी सेवक........................., पदनाम...................... कार्यालय........................में कार्यरत थे। इनके मृत्यु के पश्चात इनके आश्रितों की स्थिति/परिसम्पति/देयाताओं के अनुसार बिना अनुकम्पा नियुक्ति के इस परिवार का भरण पोषण संभव नहीं है।

अतः आवेदक की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है।

कार्यालय प्रधान/ विभागाध्यक्ष
का हस्ताक्षर/मुहर

2~

प्रपत्र–III

आवेदक का घोषणा पत्र
(नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र के रूप में)

1. मैं ....पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति / पुत्र–वधू / माता / पिता / अविवाहित भाई / बहन स्व0.. पूर्व– (पदनाम)......................................, कार्यालय.., जो ग्राम / शहर... थाना......................... .... अनुमंडल..................................... जिला... राज्य................................. ..... के स्थायी निवासी है।

2. मेरे... का निधन दिनांक.............................. को हुआ है।

3. स्व0....................................... के आश्रितों में से निम्नांकित व्यक्ति का भरण पोषण मेरे द्वारा सहज भाव से किया जाएगा।

क्रमांक	नाम	मुत सरकारी सेवक से सम्बन्ध	जन्म तिथि / उम्र	वर्तमान पता	नियोजन की स्थिति
1	2	3	4	5	6

4. मैं एतद् द्वारा शपथ पूर्वक यह घोषित करता हूँ कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के पश्चात उपर्युक्त आश्रितों में से किसी सदस्य द्वारा यदि उसके भरण–पोषण में किसी प्रकार की कमी पायी जाये तो मुझे सेवा से हटा दिये जाने का निर्णय लेने हेतु राज्य सरकार स्वतंत्र होगा।

आज दिनांक–.................... को .... बजे पूर्वा0 / अप0 मैं सब कुछ समझ कर अपना हस्ताक्षर करता हूँ।

हस्ताक्षर

नामः–
स्थायी पताः–
वर्तमान पताः–
आधार संख्या (यदि हो)

2

प्रपत्र–IV

सेवाकल के दौरान पत्येक 10 वर्ष पर सरकारी सेवक द्वारा की जाने वाली घोषणा।

मैं.., पदनाम..

कार्यालय / विभाग.., स्थान, जिला..

एतद् द्वारा घाषित करता हूँ कि मेरे परिवार के निम्नांकित सदस्य मुझ पर पूर्णतया आश्रित है:–

क्र0	नाम	सरकारी सेवकों से सम्बन्ध	उम्र / जन्म तिथि	पता
1				
2				
3				

सरकारी सेवक का
नाम / पदनाम